

AA 4.12  
11/3/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2013

Ashok Mandal .....Petitioner.

Versus

The State of Bihar and Others .....Respondents.

Subject: - Bihar Religious Trust Act

I N D E X

SL. No.	Particulars	pages
1.	An application Under Article 226 of the Constitution of India.	01-14
2.	<u>Annexure- 1.</u> A photo state copy of the memo no.154-21 dated 30.3.2013.	15
3.	<u>Annexure- 2.</u> A photo state copy of the letter dated 26.11.2012.	16 to 19
4.	<u>Annexure- 3.</u> A photo state copy of the letter dated 24.01.2013.	20 to 23
5.	<u>Annexure- 4.</u> A photo / typed state copy of the letter dated 11.4.2013.	24 to 27
6.	<u>Annexure- 5/5/A</u> A photo / typed state copy of the letter dated 21.2.13 and 29.3.2013.	28 to 32
7.	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ....of 2013

Ashok Mandal... ..Petitioner.

**Versus**

The State of Bihar and ors. ....Respondents.

**SYNOPSIS**

**Dates and Events**

30.03.2013 Annexure-1	Petitioner come up for appropriate writ in the nature of certiorari to quash the Memo No.154-21 dated 30.03.2013 and also initiate action against the respondents no.8 who is defendants the amount as a capacity of Secretary of Kali Nyash Samiti, Sarauni Kala, P.S.-Bihariganj under Madhepura District.
26.11.2012 Annexure-2	Respondent no.9 has been removed by the total members of the Execution Committee.

24.01.2013 Annexure-3	Committee asked to the respondents no.9 to submit Rokar Panjee etc.
11.04.2013 Annexure-4	Executive Member filed the authority for defalcation of amount of four lakh.
29.03.20012 Annexure-	C.O. Bihariganj settlement property of samittee for the financial year. There is no action taken against the respondent no.9.

Hence this writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. \_\_\_\_\_ of 2013

In the matter of an  
application Under  
Article 226 of the  
Constitution of India.

**And**

In the matter of;

Ashok Mandal, Son of Late Sital Mandal,  
Resident of Village and Post Office- Sarauni  
Kala, Police Station- Bihariganj, District-  
Madhepura, At present Chairman of Sri Kali  
Trust Committee, Sarauni Kala, District-  
Madhepura.

**..Petitioner.**

**Versus**

1. The State of Bihar.
2. The Chairman, Bihar State Board of Religious Trust, Vidayapati Marg, Patna-800001.
3. The D.M. cum Collector, District-Madhepura.
4. The Sub-Divisional Officer, Sub-Division-Uda Kishunganj, District-Madhepura.
5. D.C.L.R., Uda Kishunganj, District-Madhepura.
6. B.D.O., Gwalpara Block, District-Madhepura.
7. C.O., Gwalpara Block, District-Madhepura.
8. S.H.O., Police Station-Bihariganj, District-Madhepura.
9. Surendra Mishra, Son of Late Balbhadra Mishra, Ex-Secretary of Kali Trust Committee, Sarauni Kala, Resident of Village and Post Office- Sarauni Kala,

Police Station- Bihariganj, District-  
Madhepura.

**..Respondents.**

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M.  
Doshit, the Chief Justice of the High  
Court of Judicature at Patna and her  
Companion Justices of the said Hon'ble  
Court.

The humble petition on  
behalf of the above  
named petitioner;

**MOST RESPECTFULLY SHEWETH:**

1. That, the petitioner has come up of  
issuance of appropriate writ / writs in  
the nature of certiorari to quash the  
memo no. 154-21 dated 30.03.2013 issued  
by the C.O. Gwalpara, District- Madhepura  
and in the nature of mandamus direction

to the respondents authority to initiate proper inquiry against the respondent no. 8 and also confined the committee constitutes by the petitioner.

A true / photo copy of the vide memo no. 154-21 dated 30.03.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure- 1 of the writ application.

2. That, the petitioner is citizen of India and he reside the well within Jurisdiction of this Hon'ble Court and he is Chairman of the Trusts.
3. That, it is relevant to state here that one Late Madan Mandal who was Ex-landlord, donate 15 Acre of land at the time of abolished the Jamindari Pratha and thereafter total responsibility of

villagers of Sara<sup>u</sup>ni Kala performed Puja Path and yearly mela ceremony elaborate. And after death of donee Late Madan Mandal all persons of Saraunikala purchase the land through Chanda in the name of "Kali Nyash Samiti" about 16.66 Acre land total land of "Kali Nyash Samiti" is about 31.66 Acres of Land appertaining to Khata No. 1220 Rakba 15.47 and khata no.1221- 9.20 acres. It is pertinent to state here income and chanda of the said land every yearly function elaborate by the all villagers. But in the year of 1982 all responsibility vested to Bihar State Board of Religious Trusts, Patna and Board constitute 11 members of samiti and Ist Chairman of said committee Late Gulab Jha and Secretary Late Pt. Panchanand Jha and every year income and expenditure of Puja Path. All public of the village and after



death of the then Secretary Pt. Panchanand Jha, Late Sri Deo Mandal nominated as Secretary of Kali Nyash Samiti Sarauni Kala.

4. That it is relevant to state here that in the year of 2005, Ex-Secretary Sri Surendra Mishra nominated as Secretary and Chairmanship of Shaleshwar Mandal but unfortunately both Chairman and Secretary of the Kali Nyash Samittee mismanage and use the property of the samiti income on his personal. Even if Kali Nyash Samittee has own account vide S.B. Account No.30063, State Bank of Bihariganj but never operated the said account by both Chairman and Secretary. In this regard several times filed a complaint before the Nyash Board, Patna but Board has nothing to do in this matter.

5. That on 27.02.2012 Executive Committee of the said Samittee took resolution for removal of the Chairman Shaleshwar Mandal and he was removed from Chairmanship and membership also and petitioner was appointed as a Chairman in place of Shaleshwar Mandal with consent of all villagers and full members of the Executive Committee of Kali Nyash Samittee and petitioner was also member of 1st seven years with a experience of the said samittee.
  
6. That it is relevant to state here that on 26.11.2012 all member of executive committee sent a notice to the Secretary to submit and explain income and expenditure of Nyash from 2005 to 2011. The Executive Committee Members also took a decision if the Secretary is not performs the duties in term and

conditions with the consent of the  
samittee then <sup>he will</sup> be removed and appoint a  
fresh new Secretary.

A photo state copy of  
the letter dated  
26.11.2012 is being  
annexed herewith and  
marked as Annexure- 2  
of the writ applica-  
tion.

7. That it is relevant to state here that on  
01.12.2012, 09.12.2012, 16.12.2012 and  
22.12.2012 wrote a letter to the  
Secretary of convene the meeting for  
income and expenditure of the samittee  
but the Secretary not pay heed the such  
letter also not received the letter and  
lastly on 24.01.2013 the Secretary  
received the letter and all members of

the samiti asked to the Secretary to collect and submit the paper panji.

A photo state copy of the letter dated 24.01.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure- 3 of the writ application.

8. That it is most relevant to state here that all executive members along with total public of Sarauni Kala agitate before S.D.O. Uda-Kishanganj, B.D.O. and C.O. Bihariganj and also made an application to the S.H.O. Bihariganj in regard to defalcation of amounting of Rs. Four lakh fifty thousand by the ex-Secretary Surendra Mishra and also a copy served upon in the office of the Dharmik

Nyash Parishsad, Patna. But no proper action taken against the Ex-Secretary.

A photo / typed state copy of the letter dated 11.04.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure- 4 of the writ application.

9. That lapse of long time ex-Secretary not submitted the ledger book, Bank pass Book, Proceeding Book etc.
10. That the financial year 2013-14 has come for settlement of the Kali Samiti movable and immovable like a Gudri Hat, bandobasti on 28.03.2013 but S.D.O. Uda Kishnganj asked to the Secretary. Even if member of the said samiti informed about the disqualified from the liability of the Secretary on 26.02.2012 itself in the

regard informed about C.O. Bihariganj and others concerned.

A photo / typed state copy of the letter dated <sup>21.2.13</sup> 29.03.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure- 5 <sup>S/A</sup> of the writ application.

11. That it is most relevant to state here that on 30.03.2013 vide memo no.154-2/ dated 30.03.2013 C.O. Gwalpara settlement of the Kali Nyash Samiti property with ~~concern~~ of the Ex-Secretary Sri Surendra Mishra **without rule** and regulation in the financial ~~of~~ year 2013-14, 14-15, 15-16 it is fit to be quashed.
12. That the petitioner has reserved the right to file other document if further development of this case.

13. That, the petitioner has got no any other alternative and efficacious remedy than to invoke the ~~jurisdiction~~ jurisdiction of this Hon'ble Court for redressal of his grievance for the benefits of the villagers.
14. That, the petitioner has not moved to this Hon'ble Court earlier in the **present** matter.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue Rule NISI calling upon the record and/or why not quash the Annexure-1 and confirm the committee constituted by the petitioner.

**And / Or**

Pass such other appropriate order / writ / direction,

Affidavit

I, Ashok Mandal, aged about 51 years, Son of Late Sital Mandal, Resident of Village and Post Office- Sarauni Kala, Police Station- Bihariganj, District- Madhepura, At present Chairman of Sri Kali Trust Committee, Sarauni Kala, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood.
3. That the statements contained in paragraph nos. 2, 4, 5 to 9 ..... are true to my knowledge, those contained in paragraph nos. 1, 3, 10, 11 ..... are true to my information and rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true / photo copies of their respective originals.

अशोक मंडल



## अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा

## आम सूचना

काली न्यास समिति सरौनी कला द्वारा न्यास समिति के सरौनी स्थित हाट का वर्ष-2013-14 के लिए डाक कराने का अनुरोध किया गया है। अतः काली न्यास समिति सरौनी कला का सरौनी स्थित हाट का वर्ष -2013-14 के बन्दोवस्ती के लिए डाक दिनांक 01.04.2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा में की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति इस डाक में भाग ले सकते हैं। डाक की शर्तें निम्न प्रकार हैं -

- (1) चूंकि गतवर्ष अधिकतम डाक की राशि 61,200 रुपये थी। जिसमें 15 प्रतिशत मो0 9,180 जोड़ते हुए डाक की न्यूनतम राशि मो0 70,380 रु0 (मो0 सत्तर हजार तीन सौ अस्सी रूपया मात्र) निर्धारित की जाती है। यह न्यूनतम राशि वित्तीय वर्ष-2013-14, 2014-15, एवं 2015-16 के लिए होगी।
- (2) डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के लिए न्यूनतम जमा का 10 प्रतिशत अर्थात् 7,038 रूपये मात्र (सात हजार अड़तीस रूपया मात्र) जमानत के रूप में जमा करना होगा। इस राशि को जमा करने वाले व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकेंगे।
- (3) अधिकतम डाक बोलने वाले को डाक की कारवाई पूर्ण होने के बाद उसी समय एक मुस्त पूर्ण राशि जमा करना होगा। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कारवाई की जाएगी।
- (4) अपरिहार्य कारणवश डाक की कारवाई रद्द करने का अधिकार अधोहरस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

अंचल अधिकारी,  
ग्वालपाड़ा।

आपांक 154-2/ दिनांक 30.3.13

- प्रतिलिपि -
1. काली न्यास समिति सरौनी कला के सभी सदस्य/ सभी वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसका ब्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।
  2. मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत सरौनी को सूचनार्थ एवं ब्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
  3. हल्का कर्मचारी एवं पंचायत सचिव सरौनी पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
  4. थानाध्यक्ष ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि डाक के समय शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का कष्ट किया जाय।
  5. अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अंचल अधिकारी,  
ग्वालपाड़ा

अनेक वर- २

सेवा में,

अध्यक्ष काली न्याय समिति सरांनी कला

विषय :- सचिव श्री सुरेंद्र मिश्र को न्याय समिति से हटाने के संबंध में  
महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पूर्व अध्यक्ष श्री शैलेश्वर मंडल को न्याय समिति से हटाने के बाद न्याय समिति के सभी सदस्यों की आशा हुई थी कि अब न्याय समिति का कार्य सुचारु रूप से चलेगा साथ ही न्याय समिति विकाश की ओर अग्रसर होगी लेकिन सचिव की मनमानी एवं बेमानी क्रम सीमा को पार कर चुकी है। जिससे न्याय समिति का इकटालात पूर्व से भी बदतर हो गई है।

1. यह कि पूर्व अध्यक्ष को हटाने के बाद तथा नए अध्यक्ष की चुनाव करने के अंतराल सचिव को यह निर्देश दिया गया कि वर्तमान वर्ष 2012 की राशि को बैंक खाता में रखवाना है लेकिन सचिव ऐसा नहीं कर राशि को अपने पास रख कर राशि को गलत तरीके से अपने निजी कार्य में खर्च करते गए है।

2. सचिव की ऐसी हरकत को देखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब समिति की वार्षिक आय की राशि को कोषाध्यक्ष के माध्यमसे वसूल कर बैंक खाते में भेजवाइ जाय ।

### लगातार पेज 1

कोषाध्यक्ष के द्वारा थोड़ी ही राशि वसुली गइ क्विचिप के द्वारा  
के द्वारा विरोध ही गया और पुली की राशि को तर्ज  
करवा दिया गया ।

3- वर्ष 2005 से वर्ष 2011 तक लगभग 136000 राशि सचिव कोषास है

दिनांक 28.10.2012 के आम सभा में सचिव के द्वारा वादा किया गया है

कि मैं पूर्व एवं वर्तमान वर्ष की कुल राशि को दिनांक 25.11.2012 के अंदर

बैंक खाता में डाल दूंगा । लेकिन बैंक खाता में अभी तक कोई राशि

नहीं डाला गया है।

२.

4. वर्तमान में सचिव का कहना है कि पूर्व का कोई भी राशि में पैसा नहीं है। मेरा निजी राशि न्यास समिति की विकास कार्य करने में खर्च हो गया है, इससे स्पष्ट होता है कि सचिव का नियत न्यास समिति की राशि को बेमाननी करने का हो गया है।

5. पूर्व में काली जी की वार्षिक पूजा समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर आमसभा बुलाकर वर्तमान वर्ष का आय व्यय तथा पूजा मेला से संबंधित खर्च का लेखा जमा खाता की बीच प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन पूजा समाप्ति को महीना बीतने जा रहा है और अभी तक आमसभा नहीं बुलाइ गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सचिव मनमानी कर रहे हैं।

6. सचिव न्यास समिति के सदस्यों को मनमानी खर्च का हिसाब बताकर सभी सदस्यों को गलत हिसाब पर हस्ताक्षर करने को कह रहे हैं, गलत हिसाब पर हम सभी सदस्य किसी भी सुरत में हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं।

7. न्यास समिति एवं ग्रामीणों के द्वारा नए मंदिर बनवाने का निर्णय लिया गया है, सांख्यिक पूर्ण वातावरण में मंदिर कार्य को प्रारंभ करना था। लेकिन सचिव की मनमानी एवं बेयमानी के कारण मंदिर बनाना भी असंभव हुआ रहा है।

लगातार पृज 2.

अतः बंल अंत मे न्यास समिति के सभी सदस्य गण अयस  
 से आग्रह करते है कि कार्यकारिणी बैठक बुलवा कर सचिव को पद से  
 हटाइ जाय । साथ ही नए सचिव बना कर समिति की कार्य को  
 आगे बढाने की कृपा कीजाय ।

दिनांक 25. 11. 2012

विश्वास भाजन

7. पृथ्वी शर्मा

काली न्यास समिति की सभी सदस्य गण

8. संतोष कुण्डा

1. विपिनंदन मंडल

2. जय कृष्ण मंडल

3. नि० रामेश्वर शर्मा

4. पकीलमंडल

5. विपिन नाथ मेहता

6. विश्वनाथ मंडल

अ संकेत - 3

सेवा में,

अध्यक्ष, काशी ज्वाला समिति

तराई का

विषय :- काशी ज्वाला समिति की वित्तीय पुनार सर्वेक्षण समिति  
संघालन में उपयोग किये गये सभी पंजी की पुनार ज्वाला  
समिति के अध्यक्ष की पुनार सम्पत्ति करने के संबंध में।

सेवा में,

निवर्तमान सचिव महोदय श्रीसुन्दर मिश्र काशी ज्वाला

समिति तराई का

महाशय ,

उपरिक्त विषयसंबंध के संबंध में सूचित करना है कि ज्वाला  
समिति के सभी सदस्यों के निर्णय से दिनांक 26-12-2012  
से दिनांक 4-1-2013 तक ज्वाला समिति के सभी सदस्यों की बैठक  
आपके विरोध में चलता रहा है, दिनांक 4-1-2013 को निर्दोष पत्रिका  
उदात्तिकायन में आपसे लिखा कि आपके द्वारा ज्वाला की वार्षिक  
आप की राशि को गमन करती नही, ताकि ही दिनांक 26-12-2012  
की सचिव पत्र से परामुक्त करने का चर्चा आपसे पत्र में ही नही है, आपके  
द्वारा ज्वाला समिति में किये गये अनियमितता निवेदन निम्न प्रकार है।

समस्तारपीठ २-१०

1. वर्ष 2005 से 2012 तक आपके द्वारा म्यात की बैंक खाता राशिपत्री का संवाहन मन ही किया गया है।
2. कार्यका रिणी बैठक में समिति द्वारा तिर मी निवारि की आपके द्वारा अनुनी कर मनमानी टर्म से म्यात समिति का संवाहन किया गया है।
3. आपके द्वारा मनमानी करने के अलावा म्यात समिति में एक विन्दुनी पर विवाद पैदा हुआ है। जिसका उदाहरण श्री सुमन कुमार श्री भीम मंडल की विवाद का है। समिति के त्त सदस्यों द्वारा किया गित बन्ध श्री सुमन कुमार कोनी मद्र धी होकर जब पने मनमानी टर्म से कोरी श्री भीम मंडल की इसे स्वरारनामा बना दिया ।
4. म्यात समिति के सदस्यों, म्यात के आदेशानुसार - अपने आमतक कार्यका रिणी बैठक बताने से कतराते रहे है।
5. म्यात कीरा शि का आप अपने निधी कार्य में तर्क कर ही मद्र है।
6. आपके विरुद्ध म्यात कीरा शि मयु का मामला बन रहा है।
7. म्यात समिति के त्त सदस्यों आपके विरुद्ध है।
8. आपके मनमानी करतत से मी मीणी भी मीणीत है।
9. दिनांक 28-10-2012 की म्यातभा के आपके द्वारा म्यात

22

2.

समिति समिति की पूर्व की वार्षिक आय की राशि बैंक खाते में भेजने का वायदा किया गया था।

10. दिनांक 19-12-2012 को गुण सभा में वर्ष 2012 की न्यास समिति की वार्षिक आय की राशि का दिनांक 20-12-2012 को बैंक खाते में डालने का वायदा न्यास के द्वारा की गई थी।

11. न्यास के द्वारा उक्त दिनांक राशि बैंक खाते में अभी तक नहीं भेजी गई।

अतः न्यास को उपर्युक्त 10 व 11 न्यास के विपरीत के वास्तविक में मनमाने करने के कारण न्यास समिति के सविध पक्ष से यह मुफ्त किया गया है न्यास विपरीत न्यास समिति की पुराने न्यास की सविध का पूरा करें, यदि पुराने सविध में किसी प्रकार की सापरवाही बरकती गई है तो गुण सभा के सचिवों से न्यास से पुराने न्यास भरण निगी वासकती है। ऐसी स्थिति में यदि न्यास समिति के पक्ष या गुण सभा के द्वारा किसी भी प्रकार की सविध करना अर्थात् शांति में होती है, तो तारी न्यास पक्ष न्यास की होगी।

अतः न्यास समिति जाना करती है कि न्यास सतम न्यास समिति की पुराने न्यास का समर्पित करने का पूरा करें। जिससे न्यास समिति का विकास के लिए न्यास किया जा सके।



3\*\* लगातार पैग 2\*

अनुसर किया जातके।

विद्ययातमाका

हउअहाकि सैत

24\* 1-20 12

अध्यैड काही अयात समिति

तरनी का

अपु तित्तपि अस्ता रितः-

- 1- सुमिया ग्राम अयायत तरनी का
- 2- अस्ता अधिकारी अयात्माठा।
- 3-पुल्ले विकास पदाधिकारी अयात्माठा
- 4- अनुसंकेत पदाधिकारी उदा अयात्माठा
- 5- धाना अयात्माठि अधिकारी अयात्माठा।

सेवा में,  
माननीय, अंचल,

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वत पटना, बिहार।

प्रसंग :- ज्ञानांक 154 -2 दिनांक 30.03.2013 अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा।

विषय :- अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा, जिला- मधेपुरा द्वारा अवैधानिक रूप से काली न्यास समिति सरौनी कला का सरौनी स्थित हाट का दिनांक 01.04.2013 ई0 को 11:00 बजे दिन में अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में बन्दोवस्ती के लिये कराये गये डाक की रद्द करने के सम्बन्ध में।


महाशय,

प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम अशोक मंडल पिता स्व0 मीतल मंडल निवासी ग्राम सरौनी कला, अंचल - ग्वालपाड़ा आना - बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा है। मैं वर्तमान में काली न्यास समिति सरौनी कला का विधिमत वयनित अध्यक्ष हूँ। चूंकि वित्तीय अनियमितता के आरोप में दिनांक 26.12.2012 को उक्त न्यास समिति के दस सदस्यों द्वारा कार्य-कारिणी बैठक में पूर्व के सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र को सचिव के पदपर से पदसुक्त कर दिया गया है।

यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि विगत 30 - 40 वर्षों से सरौनी स्थित हाट का डाक काली न्यास समिति, सरौनी कला द्वारा सुचारु रूप से चलाया जाता रहा है तथा न्यास समिति द्वारा कराये गये डाक के विवरण कभी भी कितनी भी प्रकार की शिकायत नहीं रही है। परन्तु निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र, जिन्हें काली न्यास समिति सरौनी कला की कार्य कारिणी द्वारा वित्तीय अनियमितता के आरोप में सचिव पद से पदसुक्त कर दिया गया था।

उक्त द्वारा पूर्वग्रह से ग्रसित होकर बिना कितनी आधार के सरौनी हाट का डाक चलावने हेतु एक आवेदन अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा को दी गयी। जिसके आधार पर अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा ने बिना क्षेत्राधिकार के काली न्यास समिति सरौनी कला के क्षेत्राधिकार में अवरोध हटाने करते हुए अपने माध्यम से सरौनी हाट का डाक चलावने की आज सूचना जारी करवा दी तथा डाक के लिये अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में दिनांक 29.03.013 ई0 निर्धारित किया।

30/3/13  
अशोक  
मंडल



2.

न्याय समिति द्वारा अंचल अधिकारी महोदय ग्वालपाड़ा के उक्त कार्यवाही के विरुद्ध दिनांक 29.03.013 को निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र के आवेदन पर विचार नहीं करने तथा सरौनी हाट के डाक को तत्काल स्थगित कर न्याय समिति के सदस्यों से विचारोपरान्त आगे की कार्यवाही करने हेतु अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा को तैवा में एक आवेदन दिया तो दिनांक 29.3.013 ई0 को होने वाले डाक को तत्काल स्थगित कर दिया गया । परन्तु अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा द्वारा पुनः एक आम सूचना जारी करते हुए सरौनी हाट के डाक हेतु नयी तिथि दिनांक 01.04.2013 ई0 को 11:00 बजे दिन में अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में निर्धारित कर दी गयी । जिसकी प्रति काली न्याय समिति सरौनी कला के किसी भी सदस्य को हस्तगत नहीं करवाया गया ब्र और उक्त न्याय समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंचल अधिकारी महोदय ग्वालपाड़ा द्वारा सरौनी स्थित हाट का वर्ष 2013 -014 के बन्दोवस्ती के लिये डाक करवा दिया गया जो बिल्कुल ही अवैधानिक है ।

कश्चि काली न्याय समिति सरौनी द्वारा भी कई समी कार्यवाही की दिनांक 21.02.2013 को समिति की कई थी जिसकी प्राप्ति रसीद की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न है । जिसे आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण न्याय समिति को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । जबकि हाट डाक के पूर्व न्याय समिति द्वारा आम पेड़ की बन्दोवस्ती विधित कर दी गई है ।

अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा के द्वारा न्याय समिति में अनाधिकार हस्तक्षेप के पश्चात दिनांक 31.3.2013 से 8.4.2013 तक जिला पदाधिकारी गधेमुरा , अनुमण्डल पदाधिकारी उदाकिशुगंज , भूमि सुधार उपसमाहर्ता अना-किशुगंज , प्रथम उ विकास पदाधिकारी ग्वालपाड़ा , थानाध्यक्ष विहारीगंज से सम्पर्क कर डाकको निरस्त करवाने तथा उक्त निवर्तमान सचिव पर कानूनी कार्यवाही करने की आवेदन दी गई । लेकिन किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्राप्ति रसीद नहीं दी गई साथ ही कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं देखी गई , पदाधिकारियों के संघे से अनुभव हुआ कि यहाँ न्यायोचित कार्यवाही होने की कोई उम्मीद नहीं देखी गई । अन्ततः सभी पदाधिकारियों को स्पीड -पोस्ट द्वारा आवेदन भेज दी गई । जिसकी प्राप्ति रसीद आवेदन के साथ संलग्न है ।

बिमा नही NOT INSURED

संग्राह्य मूल्य २७ प०  
Amount of Stamp attached Rs. 27 P

एक निदेशिका प्राप्त किया  
Received by निदेशिका अधिकारी

पाने वाले का नाम मन्वेपुर तारीख जारी  
Addressed to निदेशिका Date Stamp

मानवाले अधिकारी का हस्ताक्षर  
Signature of Receiver Officer

2952

R.F. 102503309 IN

बिमा नही NOT INSURED

संग्राह्य मूल्य २७ प०  
Amount of Stamp attached Rs. 27 P

एक निदेशिका प्राप्त किया  
Received by निदेशिका अधिकारी

पाने वाले का नाम मन्वेपुर तारीख जारी  
Addressed to निदेशिका Date Stamp

मानवाले अधिकारी का हस्ताक्षर  
Signature of Receiver Officer

2953

R.F. 102503312 IN

बिमा नही NOT INSURED

संग्राह्य मूल्य २७ प०  
Amount of Stamp attached Rs. 27 P

एक निदेशिका प्राप्त किया  
Received by निदेशिका अधिकारी

पाने वाले का नाम मन्वेपुर तारीख जारी  
Addressed to निदेशिका Date Stamp

मानवाले अधिकारी का हस्ताक्षर  
Signature of Receiver Officer

2954

R.F. 102503326 IN

बिमा नही NOT INSURED

संग्राह्य मूल्य २७ प०  
Amount of Stamp attached Rs. 27 P

एक निदेशिका प्राप्त किया  
Received by निदेशिका अधिकारी

पाने वाले का नाम मन्वेपुर तारीख जारी  
Addressed to निदेशिका Date Stamp

मानवाले अधिकारी का हस्ताक्षर  
Signature of Receiver Officer

2955

R.F. 102503330 IN

बिमा नही NOT INSURED

संग्राह्य मूल्य २७ प०  
Amount of Stamp attached Rs. 27 P

एक निदेशिका प्राप्त किया  
Received by निदेशिका अधिकारी

पाने वाले का नाम मन्वेपुर तारीख जारी  
Addressed to निदेशिका Date Stamp

मानवाले अधिकारी का हस्ताक्षर  
Signature of Receiver Officer

2956

R.F. 102503373 IN

अनक पर- 5/A

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् पटना

विषय : काली न्यास समिति सरौनीक्ला की वार्षिक आय की राशि को  
निवर्तमान सचिव श्रीसुरेन्द्र मिश्र के द्वारा ग्वन करने संबंध में।

महाशय ,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि निवर्तमान  
सचिव श्रीसुरेन्द्र मिश्र पितास्व० बलभद्र मिश्र गाँव ० सरौनी क्ला थाना  
बिहारगंज, जिला मोपुरा के द्वारा न्यास की लगभग 403301.00 चार  
हजार लाख तीसहजार तीससौ एक राशि सचिव के द्वारा ग्वन की जा रही है  
इसका सबूत न्यास समिति की बैंक खाता रोकपंजी का संचालन वर्ष 2005  
से नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट साबित होता है कि निश्चित रूप से  
निवर्तमान सचिव न्यास की राशि को मनमानी रूप से अपने पास रखकर निजी  
कार्य में खर्च कर चुके है।

2. निवर्तमान सचिव श्री मिश्र के द्वारा समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कोई  
महत्व नहीं रटी जाती है, श्री मिश्र गाँव इलाका के दमंग लोगों से संबंध  
रखते है, जिससे न्याय के सदस्य गण सचिव के करतूस से भयभीत रहा करते है  
श्री मिश्र अपने दमंगता के बलपर न्यास की राशि का ग्वन कर लेने का  
मना बना चुके है, ऐसी परिस्थिति में 26.12.2011 को कार्यकारिणी  
बैठक में सर्व सम्मति से उपस्थित सदस्यों द्वारा पुस्ताव संख्या 10 में निवर्तमान

३.

सचिव श्री मिश्र को सचिव पद से हटा दिया गया है।

३. निवर्तमान सचिव श्री मिश्र के द्वारा ही गइ न्यास की वार्षिक आय की हिसाब की माया प्रति को अपेदन के साथ सौंप कर भेजी जा रही है। निवर्तमान सचिव श्री मिश्र वर्ष 2005 में सचिव पद पर आसीन हुए थे। उनके कार्यकाल में आज तक बैंक खाता रोकपंजी का संचालन नहीं किया गया है। साथ ही न्यास समिति के सदस्यों को बैंक खाता रोकपंजी नहीं दिखाई गई।

अतः कालीन्यास समिति के सदस्य गण अपनी अपनी शपथ पत्र देकर श्रीमान से आग्रह करते हैं कि निवर्तमान सचिव श्री मिश्र पर कानूनी कार्रवाई करा जाय। साथ ही न्यास की राशि को बैंक खाते में भेजवाने की कृपा की जाय।

इसके लिए न्यास समिति के सभी सदस्य गण श्रीमान का आभारी रहेंगे।

दिनांक 29.2.2013

विश्वास माल

1. श्यामल केशोर झा

सचिव

2. अशोक मंडल अध्यक्ष

3. वकील मंडल

4. नि० जयकृष्ण मंडल

5. नि० कामेश्वर चंद्रशेखर

6. शिव ना० मेहता

7. संतोष कुमार झा

8. विश्वनाथ मंडल

9. ह० अशोक

10. शिव नंदन मंडल

अतः उपयुक्त परिस्थितियों के आलोक में श्रीमान् से सादर विनम्र निवेदन है कि इस आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी ग्वाल-पाड़ा द्वारा अधिकाधिक रूप से सरौनी स्थित हाट का वर्ष 2013-014 के वन्दोवस्ती के लिये दिनांक 01.04.2013 ई0 को अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में करवाये गये डाक को रद्द करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र

को पदमुक्त किये जाने की सूचना एवं प्रभार समर्पित करने की पत्र की छायाप्रति ।

2. दिनांक 26.11.2012 से 05.02.2013 तक

काली न्याय समिति द्वारा की गई सभी

कार्यवाही की सूचना अध्याय विचार राजस

धार्मिक न्याय परिषद पटना को दिये जाने

तथा प्राप्त रसीद की छायाप्रति ।

3. दिनांक 29.03.013 को अंचल अधिकारी

ग्वालपाड़ा को दिये गये आवेदन की कार्यन प्रति ।

4. अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा द्वारा आपाक

154 - 2 दिनांक 30.03.013 को जारी

ग्राम सूचना की छाया प्रति ।

5. जिला पदाधिकारी मधेपुरा, अनुमण्डल

पदाधिकारी उदाकिशुमगंज, भूमि सुधार

उपसमाहर्ता उदाकिशुमगंज, पृष्ठ विकास

पदाधिकारी ग्वालपाड़ा, को दी गई

आवेदन पीड पोस्ट की प्राप्त रसीद की छाया

प्रति ।

6. धान अध्यक्ष बिहारीगंज को दी गई आवेदन

स्प्रीड पोस्ट की फोटो कॉपी ।

श्रीमान् का विश्वासी

अ. न. ई. ड. ल.

8

01/11/2013

काली न्याय समिति सरौनी

अंचल - ग्वालपाड़ा

जिला - मधेपुरा ।